

Form 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From 121-Sumerpur Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

Shri Joraram Kumawat

50-51 Nakoda Bherav Colony, Bheru Chowk, Sumerpur, Dist. Pali (Raj.) sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : PALI

Dated :03 December, 2023


(Hari Singh Dewal)
Returning Officer

121-Sumerpur Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Sumerpur)

(Hari Singh Dewal)
Returning Officer
121-Sumerpur Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)
Sumerpur

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

121-सुमेरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री जोराराम कुमावत

50-51 नाकौडा भैरव कॉलोनी, भैरू चौक, सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पाली

दिनांक: 03-12-2023

(हरि सिंह देवल)

रिटर्निंग अधिकारी

121- सुमेरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर)

(हरि सिंह देवल)

रिटर्निंग ऑफिसर

121-सुमेरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
सुमेरपुर